महत्वपूर्ण एवं खास

विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई, अगली तारीख 4 फरवरी

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में विधायक पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान वकील से एप्लीकेशन पेश करने के लिए जवाब मांगा। इस पर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने एक बार फिर मोहलत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को होगी। इससे पहले 22 दिसंबर 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विधायक के अधिवक्ता को नाराजगी जताते हुए उन्हें अंतिम मौका दिया था, जब यह जानकारी दी गई थी कि विधायक जेल में हैं और मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जेल में विधायक से हुई मुलाकातों का हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने झूठी जानकारी देने पर नाराजगी व्यक्त की थी। याचिका में विधायक देवेंद्र यादव पर अचल संपत्ति के संबंध में सही जानकारी न देने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 फरवरी 2025 की तारीख तय की है।

पीएससी घोटाले में हाईकोर्ट ने श्रवण कुमार गोयल की याचिका खारिज की

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले के मामले में जेल में बंद कारोबारी श्रवण कुमार गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस दौरान सीबीआई ने श्रवण कुमार के खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिसमें पर्चा लीक, नौकरी के लिए धन लेन-देन और ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा शामिल है। सीबीआई ने कोर्ट में 40 गवाहों की सूची सौंपी है। चार्जशीट में यह आरोप लगाया गया है कि पीएससी के पदाधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किए। 30 जनवरी को कोर्ट में बचाव और अभियोजन पक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। कुछ दिन पहले सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में 465 पन्नों की चार्जशीट और 16 पन्नों की समरी पेश की थी।

निजी स्कूल में निकला 9 फीट का अजगर, मचा हड़कंप

रायगढ़-रायपुर (आरएनएस)। रायगढ़ जिले के एक निजी स्कूल परिसर में दो अजगर सांप निकलने का मामला सामने आया है, वहीं जानकारी है कि जोरापाली गांव के पास स्थित साधुराम विद्या मंदिर स्कूल के स्टोर रूम में अजगर सांप दिखने से शिक्षकों और बच्चों में दहशत पनप गई।इधर उक्त घटना की जानकारी मिलते ही सर्पेरक्षक की टीम मौके पर पंहुची जिसके बाद टीम ने एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। सूत्रों कि माने तो एक अजगर सांप की लंबाई 9 फीट और दूसरे की लंबाई साढ़े 6 फीट थी इधर स्कूल की छुट्टी के बाद सर्प रक्षक की टीम ने स्कूल के स्टोर रूम के भीतर घुसे अजगर सांपों को बाहर निकाला और पास के जंगल में छोड़ा।

50किलो का आईईडी निष्क्रिय

बीजापुर (आरएनएस)। नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। बासागुडा थाना क्षेत्र के डीआरजी, बीडीएस, सीआरपीएफ 168 बटालियन की टीम ने दुर्गा मंदिर के लगभग 50 किलो का आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बासागुडा-तिम्मापुर रोड पर 50 किलो आईईडी लगा रखा था। सुरक्षा बलों के जवानों ने सूझबूझ तरीके से आईईडी को बरामद कर सुरक्षित स्थान पर निष्क्रिय किया।

रायपुर में इस बैंक के 100 से ज्यादा खाताधारकों पर एफआईआर.. ठगी और ट्रेडिंग के पैसे जमा किये जाने की थी शिकायत

रायपुर । आरएनएस

जिले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 104 खाताधारकों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इन खातों का उपयोग शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल ठगी और अन्य तरीकों से प्राप्त किए गए ठगी के पैसों को जमा करने के लिए किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

इन सभी खातों का विवरण केंद्र सरकार के समन्वय पोर्टल पर दर्ज है, जहां इन म्यूल खातों के जरिए ठगी के मामलों की जानकारी दी गई। जांच में पाया गया कि इन खातों में 38 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा की गई है।

पुलिस ने स्वयं प्रार्थी बनकर इन खातों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह शिकायत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से रेंज साइबर थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया कि इन खातों में ठगी के पैसे जमा किए जा रहे थे।

अब सिविल लाइन थाना पुलिस इन म्यूल खातों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

म्यूल अकाउंट क्या होते हैं?

म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग अपराधी अपने अवैध धन को छुपाने और स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। आज के समय में नकदी रखने और उसे लेन-देन में इस्तेमाल करने पर कड़े कानून लागू हैं। अगर अपराधी अपने व्यक्तिगत खातों का उपयोग करते हैं, तो य्द्रष्ट (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रियाओं की वजह से उनकी पहचान करना और पकड़ा जाना आसान हो जाता है।

इससे बचने के लिए, अपराधी किसी तीसरे व्यक्ति के बैंक खाते का सहारा लेते हैं। यह तीसरा व्यक्ति अक्सर अनजान होता है कि उसके खाते का उपयोग अपराध से जुड़े धन को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे खातों का उपयोग एक प्रकार के "मनी म्यूल" के रूप में किया जाता है।

म्यूल अकाउंट का संचालन इस तरह से किया जाता है कि अपराध से जुड़े पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजकर उसकी जांच-पड़ताल से बचा जा सके। इस प्रक्रिया में, खाता धारक को कभी-कभी एक छोटे से लाभ का प्रलोभन दिया जाता है, जबकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसका खाता गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है।

इस तरह के बैंक खातों का उपयोग मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराधों में किया जाता है। यह न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि खाता धारक को भी गंभीर कानूनी परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए, लोगों को अपने बैंक खातों का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने देने से पहले सतर्क रहना चाहिए और ऐसे किसी भी संदिग्ध प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहिए।

ट्रैक्टर में दबकर नवयुवक की मौत

जांजगीर-रायपुर । आरएनएस

जांजगीर-चांपा जिले में एक दर्दनाक हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। नवागढ़ थाना क्षेत्र के गोधना गांव में हुई इस घटना में किशन जागेश्वर नाम का युवक ट्रैक्टर से गिरकर ट्राली के पहिए के नीचे आ गया। घटना सुबह करीब 6 बजे की है, जब किशन अपने साथियों के साथ कनकपुर से ईंट लोडकर बेल्हा गांव जा रहा था। कोहरे के कारण चालक को सड़क पर बना गड्ढा नहीं दिखा और ट्रैक्टर का पहिया उसमें फंस गया। तेज रफ्तार के कारण इंजन पर बैठा किशन उछलकर सड़क पर गिर गया और उसका सिर ट्राली के पहिए के नीचे आ गया।

डॉक्टर जारी कर रहा था फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस भर्ती में गड़बड़ी पर सस्पेंड घायल किशन को डायल 112 की मदद से सीएचसी अस्पताल नवागढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। यह हादसा एक गरीब परिवार के लिए बड़ा झटका है। किशन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और एक बहन का भाई। परिवार रोजमर्रा की मजदूरी से गुजारा करता है। बेटे की मौत से मां की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है।

महादेव सट्टा एप के आरोपियों को हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका , एएसआई और हवाला कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज

बिलासपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप चलाने में प्रमोटर्स के लिए काम करने वाले आरोपी एएसआई और हवाला कारोबारी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। एएसआई पर आरोपियों के साथ ही अफसरों और राजनेताओं के बीच संपर्क कराने और उनके लिए काम करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में सार्वजनिक जुआ अधिनियम और ईडी ने केस दर्ज की थी। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। दरअसल, महादेव सट्टा ऐप केस में ईडी ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जांच के दौरान पता चला कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के साथ महादेव ऑनलाइन बुक प्रमोटरों के लिए संपर्क सूत्र के रूप में काम किया।

ईडी ने जांच के दौरान हवाला किंग अनिल कुमार दम्मानी और सुनील कुमार दम्मानी को भी पकड़ा। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इनमें से चंद्रभूषण वर्मा और सुनील दम्मानी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने जमानत का विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दुर्ग पुलिस ने 29 फरवरी 2022 को मोहन नगर थाने में आलोक सिंह राजपूत, रामप्रवेश साहू, खड़ा उर्फ ??राजा सिंह, अभिषेक और पिंटू के खिलाफ सार्वजनिक जुआ (छ.ग. संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए, आईपीसी की धारा 420, 120बी और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत दर्ज की गई थी।

इसके साथ ही ईडी ने भी ईसीआईआर दर्ज की थी। ईडी ने आरोपियों के ठिकानों पर छापा मारा। पता चला कि एक लैपटॉप सेट से वे ऑनलाइन ईडी बनाकर पैसे इक_ कर रहे थे। आईडी से वे महादेव बुक के माध्यम से दूसरों के लिए ऑनलाइन क्रिकेट मैच, घुड़दौड़, ग्रेहाउंड रेसिंग, कबड्डी आदि पर दांव लगा रहे थे। पूछताछ करने पर, आरोपियों ने अभिषेक और पिंटू के नाम की जानकारी दी। जांच के दौरान ही पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑनलाइन मोड के माध्यम से सट्टेबाजी ऐप चला रहे थे।

प्रमोटरों ने भारत के साथ ही विदेशों में भी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के पैनलों को फ्रेंचाइज करने सिस्टम बनाया था। यह भी पता चला कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेताओं व अधिकारियों के साथ महादेव ऑनलाइन बुक प्रमोटरों के लिए संपर्क सूत्र के रूप में काम किया। ईडी ने जांच के दौरान हवाला किंग अनिल कुमार दम्मानी और सुनील कुमार दम्मानी को भी गिरफ्तार किया है।

गौ-मांस बिक्री मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

राजधानी में गौ-हत्या कर गौ-मांस बिक्री करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कियास है। इसके पूर्व इस मामले में 09 आरोपियों की गिरफ्तारी जा चुकी है।

बता दें कि राजधानी के आजाद चौक थानाक्षेत्र के मोमिनपारा में एक माह पूर्व गौ-मांस विक्रय करने का मामला सामने आया था। जिसपर कार्यवाही करते हुए आजाद चौक पुलिस ने मौके पर छापामार कार्यवाही करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया था वहीं अलग-अलग दिनों में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 299,325,61(2) (ए) बीएनएस एव 4,5,6,10 छग कृषक परिरक्षण अधिनियम 2004 की विवेचना कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण विवेचना में 09 आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जहां से सभी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल रायपुर भेजा गया है। इस मामले की विवेचना में एक अन्य आरोपी मेंहदी रजा का भी नाम सामने आया था जो कि घटना के दिन से फरार था तथा जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान दिनांक 23.01.2025 फरार आरोपी मेंहदी रजा पिता आसिफ अली उम्र 38 साल पता के संबंध में सूचना मिली जिसके बाद पकड़ा गया तथा गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

नाबालिकों को भगा ले जाने वाला आरोपी युवक पुणे से गिरफ्तार

कबीरधाम । आरएनएस

जिले की पंडरिया थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाले आरोपी को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है वहीं आरोपी को जेल भेजा गया है।

मिली जानकारी के अनुसारदिनांक 28/12/24 को थाना पंडरिया में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिक बेटी का अपहरण कर लिया गया है। रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया और तत्काल विवेचना शुरू की गई। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नाबालिग बालिका को ढूंढने के लिए टीम बनाई गई तथा उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान लगभग दो माह बाद पुलिस को बालिका तथा बालिका को भगा ले जाने वाले युवक के पुणे महाराष्ट्र में होने की सूचना मिली। जिस पर थाना पंडरिया की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को पुणे, महाराष्ट्र रवाना हुई तथा पुणे पहुंचकर पुलिस टीम ने नाबालिक पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी रामकुमार यादव पिता धर्मेंद्र यादव, उम्र 18 वर्ष, निवासी किशुनगढ़, थाना पंडरिया ने नाबालिक का अपहरण कर उसे जबरन संबंध बनाने की कोशिश की थी। आरोपी के खिलाफ धारा 137(2)87, 64(2) (एम) 65(1) बीएनएस और 4(2), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

गणतंत्र दिवस पर एनएसयूआई निकाली 76 फीट लंबा तिरंगा पैदल यात्रा

❒ सैकड़ों लोग इसमे शामिल होकर बढ़ायेंगे तिरंगे का मान

भिलाई । आरएनएस

छिहत्तरवे गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को प्रात: साढ़े 10 बजे एनएसयूआई द्वारा 76 फीट लंबा तिरंगा के साथ तिरंगा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आकाश कन्नौजिया ने एक पत्रकारवार्ता में दी। उन्होंने आगे बताया कि इस तिरंगा यात्रा के आयोजनकर्ता एनएसयूआई के साथ ही कांग्रेस के दुर्ग लोकसभा प्रभारी सौरभ मिश्रा है। इस दौरान सौरभ मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले साल भिलाई नगर के युवा एवं हरदिल अजीज विधायक देवेंद्र यादव द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी इससे प्रेरणा लेकर हम लोग ये तिरंगा की पैदल यात्रा निकाल रहे है। कन्नौजिया ने आगे बताया कि इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल सहित एनएसयूआई के सदस्यों के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होकर तिरंगा का मान बढ़ायेंगे। तिरंगा की पैदल यात्रा प्रात: साढ़े 10 बजे ग्लोब चौक से पुष्प वर्षा और देश भक्ति गानों के साथ निकाली जायेगी जो शहीद पार्क सेक्टर 5 में जाकर खत्म होगी। इस बार देश 76 वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, इस लिए हम लोग इस बार 76 फीट लंबा तिरंगा बनाया जा रहा है जिसको पकड़कर पैदल यात्रा निकाली जायेगी। हर साल यह तिरंगा यात्रा निकाली जायेगी और हर वर्ष उसकी लंबाई एक-एक फीट बढती जायेगी। तिरंगा यात्रा पहुंचने के पूर्व छात्रों द्वारा शहीद पार्क में उत्साह पूर्वक रंगोली बनाया जायेगा जो बेहद ही आकर्षण का केन्द्र होगा। पत्रवार्ता में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आकाश कन्नौजिया, लोकसभा प्रभारी सौरभ मिश्रा, फराज अहमद, निखिल चौबे, सुरेन्द्र बाघमारे, करण वैष्णव, आकाश कुर्रे, दीपक पॉल, आकाश डहरे सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई के पदाधिकारी उपस्थित थे।

अपहरण की गुंथी सुलझी, मध्यप्रदेश से 6 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर । आरएनएस

अंबिकापुर के दो युवकों के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को मध्यप्रदेश के सागर से गिरफ्तार किया है। लेकिन जो कहानी सामने आई है वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसमें आरोपियों से दुल्हन दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए थे। लड़कियां भी दिखाई गई। लेकिन शादी के लिए ट्रेन से रवाना होने से पहले लड़कियां भाग गई। इसके बाद दिए गए पैसों की वापसी के लिए सारा खेल हुआ।

एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इन्दर साय मरावी ने 20 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर से अपने दोस्त काबिल अंसारी के साथ निकला उनका उनका लड़का दिनेश मरावी वापस नहीं लौटा है। मामले में थाना दरिमा में मामला पंजीबद्ध किया गया था।

विवेचना के दौरान यह बात सामने आई कि दिनेश मरावी ने अपनी पत्नी को कुछ आरोपी उसे और उसके दोस्त काबिल अंसारी को ट्रेन में जबरदस्ती बिठाकर ले जा रहे है। इसके बाद इंदर साय मरावी ने आरोपियों की डिमांड पर फोनपे के जरिए 25,000 रुपए दिया था। इसके बाद आरोपियों का लोकेशन चेक करने पर सागर, मध्यप्रदेश पाया गया।

आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने तत्काल टीम को सागर रवाना किया, जहां से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें दमोह निवासी शाहिद खान, राशिद खान व रामनरेश तिवारी और सागर निवासी सोनू राय, राहुल जैन व मुकेश दुबे शामिल हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि काबिल अंसारी ने परिचित के जरिए शादी के लिए वधू दिलाने की बात हुई थी, जिस पर आरोपियों की ओर से नगद और फोनपे के जरिए एक लाख 25 हजार रुपए दिया था। आरोपी अंबिकापुर पहुंचे और लड़की भी देखी। शादी की सहमति भी बनी, लेकिन रवाना होते समय लड़कियां स्टेशन से फरार हो गई.पूरा वाकया समझ आते ही आरोपियों ने दिनेश मरावी और काबिल अंसारी से पैसों की मांग करते हुए मारपीट करते हुए, जबरदस्ती ट्रेन में अपहरण कर ले गए। आरोपियों को सागर से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

SJU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Join SJU

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठनसमर्पण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, मानवीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निग बॉडी के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर से एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत, विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चियों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उनके कार्यक्षेत्र एवं अधिकारों के बारे में सहयोग किया जायेगा। न्याय दिलाना हेतु संघ मदद करेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अत: शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सांस्कृतिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल विचार पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

Address Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

अवैध शराब के खिलाफ जारी विशेष अभियान

शहर के तीन थाना क्षेत्र में अवैध शराब पर सख्त कार्यवाई, महिला समेत चार गिरफ्तार

रायगढ़

एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देशन में रायगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न थानों में लगातार सफलता हासिल की जा रही है। बीते 48 घंटों के भीतर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में पुलिस ने 29 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कोतरारोड़ पुलिस ने दो शराब तस्कर पकड़े, बाइक के साथ 15 लीटर महुआ शराब जप्त

सुबह कोतरारोड़ पुलिस ने निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में नंदेली डीपापारा के पास एक मोटरसाइकिल पर शराब तस्करी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पकड़े गए आरोपियों की आरोपियों की पहचान देवेश बरेठ (23 वर्ष) निवासी तारापुर औराभांठा रोड और गोपाल पटेल (22 वर्ष) निवासी औराभांठा के रूप में हुई। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल (TVS विक्टर, नंबर CG 13 W 1004) के बीच बोरी में छिपाकर 15 लीटर अवैध महुआ शराब ले जा रहे थे। दोनों आरोपियों से शराब के संबंध में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनके खिलाफ थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक करूणेश राय और आरक्षक चन्द्रेश पाण्डेय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ईशानगर में कोतवाली पुलिस की रेड, 8 लीटर शराब जब्त

कोतवाली पुलिस ने प्रधान आरक्षक दिलीप भानु के नेतृत्व में ईशानगर में गोपाल दास मानिकपुरी (44 वर्ष) के घर पर छापा मारा। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने गोपाल दास के घर से 8 लीटर महुआ शराब बरामद की। आरोपी शराब को बिक्री के लिए रखे हुए था।

इस रेड में प्रधान आरक्षक दिलीप भानु, आरक्षक उत्तम सारथी, मनोज पटनायक, गणेश पैंकरा और गोविंद पटेल शामिल रहे।

चक्रधरनगर पुलिस की कार्रवाई में महिला से 6 लीटर शराब बरामद

थाना चक्रधरनगर की टीम ने निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में ग्राम भेलवाटिकरा में छापेमारी कर एक महिला को शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी महिला सुनीता राठिया (28 वर्ष) के घर के आंगन से 6 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई।

पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक रवि साय, आरक्षक रंजीत भगत और महिला आरक्षक अनीता बेक ने भूमिका निभाई।